

पाँचवीं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (2005 - 06)



ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना

परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)

नोट: यह रिपोर्ट मूल रूप में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है जिसके अनुवाद ओपन सोर्स एआई के माध्यम से किया गया है। कसी भी संशय की स्थिति में अंग्रेजी में उपलब्ध रिपोर्ट को मूल रिपोर्ट के रूप में सन्दर्भित किया जाये ।

एक कदम और आगे.....

उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता (स्वजल) परियोजना प्रबंधन इकाई

"उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता (स्वजल) परियोजना प्रबंधन इकाई" नामक एक संस्था 5 मार्च 2001

को उत्तरांचल सरकार के पेयजल आपूर्ति विभाग के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी, जिसके दो प्रमुख उद्देश्य थे:

(i) विश्व बैंक सहायता प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता (स्वजल परियोजना) के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना, तथा

(ii) क्षेत्र सुधार परियोजना एवं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त स्वजल परियोजना वित्तीय वर्ष 2003-2004 में सुचारु रूप से समाप्त हो गई। अतः राज्य सरकार

ने शासनादेश संख्या 3033/ukS-2(25is0)/2003 दिनांक 7 फरवरी 2004 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) परियोजना प्रबंधन इकाई को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) घोषित करना।

(ii) प्रबंधन समितियों – सामान्य निकाय एवं कार्यकारी समिति – का पुनर्गठन करना।

यह परिवर्तन भारत सरकार द्वारा जारी स्वजलधारा दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक थे। उपरोक्त शासनादेश को सामान्य निकाय एवं कार्यकारी समिति की बैठक में संशोधित ज्ञापन (MOA) में शामिल करने हेतु प्रस्तुत किया गया। संशोधित ज्ञापन को राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या 2925/29/04-(01 पेय) 2001 दिनांक 30 नवम्बर 2004 द्वारा अनुमोदित किया।

परियोजना प्रबंधन इकाई का नया नाम राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) रखा गया।

वर्तमान दायित्वों में शामिल हैं:

(i) स्वजल की अनुसरणीय परियोजना की तैयारी।

(ii) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वजलधारा एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान इस संस्था द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई गईं, जिनका वित्त पोषण विश्व बैंक, भारत सरकार एवं उत्तरांचल सरकार द्वारा किया गया:

1. प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता प्राप्त स्वजल परियोजना (II) की तैयारी।

2. क्षेत्र सुधार परियोजना (नया नाम – स्वजलधारा-II), भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित।

3. संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कार्यान्वयन, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित।
4. स्वजलधारा कार्यक्रम का कार्यान्वयन, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित।
5. संचार एवं क्षमता विकास इकाई (CCDU) का प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित।

संस्था का शासन दर्शन:

स्वजल की मूल प्रकृति उन मूल्यों पर आधारित है जो पारदर्शिता, ईमानदारी, पेशेवर दृष्टिकोण और जवाबदेही पर केंद्रित हैं।

स्वजल निम्न बातों के लिए प्रतिबद्ध है:

- सतत विकास की दिशा में कार्य करना;
- लोगों को स्वयं अपनी मदद करने में सहायता देना;
- जल एवं स्वच्छता (WATSAN) प्रबंधन को पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का विषय बनाना; और
- जनता की पसंद और आवाज को प्राथमिकता देना।

प्रबंधन संरचना:

इस संस्था में तीन समितियाँ हैं जो नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

परियोजनाओं/कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करती हैं। यह सभी कार्य राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

(SWSM) के अधीन किए जाते हैं।

1. सर्वोच्च समिति (General Body - GB)

- इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं।
- कुल सदस्य: 17

2. कार्यकारी समिति (Executive Committee - EC)

- अध्यक्ष: उत्तरांचल सरकार के मुख्य सचिव
- कुल सदस्य: 10

3. वित्त समिति (Finance Committee - FC)

- अध्यक्ष: पेयजल विभाग के सचिव (उत्तरांचल सरकार)

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान:

- श्री एम. रामचंद्रन (मुख्य सचिव) और श्री बी. पी. पांडे (पेयजल सचिव) ने क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में समिति की बैठकों की अध्यक्षता की।
- वित्त, कार्यकारी और सामान्य निकाय की समितियों के माननीय सदस्यों ने परियोजनाओं/कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रभावी मार्गदर्शन और दिशा प्रदान की।
- वित्तीय वर्ष 2005-06 में सामान्य निकाय और कार्यकारी समिति की बैठकें एक-एक बार आयोजित हुईं।
- वित्त समिति की बैठकें चार बार आयोजित की गईं ताकि संस्था के कार्यों को दिशा दी जा सके और समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त स्वजल-द्वितीय परियोजना:

वित्तीय वर्ष 2003 में समाप्त हुई स्वजल परियोजना को भाग लेने वाले समुदायों द्वारा अत्यंत सराहा गया और यह भारत एवं विश्व के अन्य भागों से आए क्षेत्र विशेषज्ञों की प्रशंसा भी प्राप्त कर चुकी है। इसके कार्यान्वयन समापन रिपोर्ट (ICR) में भी इसे संतोषजनक प्रदर्शन श्रेणी दी गई।

स्वजल-I की सफलता को देखते हुए उत्तरांचल सरकार (GoUA) ने राज्य भर में ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (RWSS) सेवाओं के वितरण के लिए एक समान नीति अपनाते हुए सुधारों को विस्तार देने का निर्णय लिया। इस दिशा में विश्व बैंक ने वर्ष 2004 में अपनी रुचि दिखाई और राज्य के मध्यम अवधि विकास कार्यक्रम (MTDP) को समर्थन देने की इच्छा जताई।

तब से स्वजल-I के अनुसरण में नई परियोजना की तैयारी शुरू की गई।

प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य है:

- विकेंद्रीकरण के माध्यम से RWSS सेवाओं की प्रभावशीलता को बेहतर बनाना।
- पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना।
- परियोजना से जलजनित बीमारियों में कमी और बेहतर स्वास्थ्य जैसी अन्य लाभों की भी अपेक्षा है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान:

- विश्व बैंक के 14 मिशनों ने परियोजना क्षेत्रों का दौरा किया।

- इनमें से 6 मिशनों ने वर्ष 2005-06 में राज्य का दौरा किया ताकि:

- (i) ग्रामीण वास्तविकताओं को समझा जा सके,
- (ii) राज्य द्वारा विश्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों का पालन संभव है या नहीं, यह परखा जा सके,
- (iii) समर्थन के दायरे और आकार पर सहमति बनाई जा सके,
- (iv) परियोजना की रूपरेखा, घटकों और कार्यान्वयन व्यवस्था पर सहमति बनाई जा सके।

विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री माइकल कार्टर ने अपनी टीम के साथ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और नई बहु-ग्राम योजनाओं (Multi-Village Schemes - MVS) के लिए Sector Wide Approach (SWAp) अपनाने की नीति पर विस्तृत चर्चा की।

परियोजना तैयारी गतिविधियों के अंतर्गत:

- पहले से चल रही 19 अध्ययन रिपोर्टों को वर्ष 2005-06 के दौरान अंतिम रूप दिया गया।
- इन रिपोर्टों के परामर्शदाताओं को कई दौर की समीक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया।
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर उनकी राय ली गई।
- ये अध्ययन PHRD अनुदान के तहत वित्तपोषित थे, अतः प्रतिपूर्ति दावों को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वित्तीय स्थिति (2005-06):

- उपलब्ध राशि: ₹686.99 लाख
- व्यय: ₹480.44 लाख
 - जिसमें ₹291.87 लाख: PMU का संचालन व्यय
 - ₹188.57 लाख: अध्ययन कार्यों पर व्यय

मुख्य नीतिगत निर्णय (राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश):

1. जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था (SWAp कार्यान्वयन हेतु) – दिनांक 31 मई 2005
2. सर्वोच्च स्तर पर संस्थागत व्यवस्था (SWAp हेतु) – दिनांक 31 मई 2005
3. क्षेत्र सुधार सिद्धांतों को अपनाना (RWSS) – दिनांक 5 दिसंबर 2005
4. RWSS क्षेत्र के लिए व्यापक क्षेत्रीय नीति अपनाना – दिनांक 25 मार्च 2006

5. UJN व UJS में सुधार लागू करने हेतु सेल की स्थापना – दिनांक 25 मार्च 2006

6. विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम हेतु SWSM सचिवालय की स्थापना – दिनांक 25 मार्च 2006

7. PMU के अंतर्गत चार नए DPMU का गठन – दिनांक 27 मार्च 2006

विशेष उल्लेख:

परियोजना प्रबंधन इकाई को राज्य सरकार की तत्परता से काफी लाभ मिला। सभी हितधारकों के प्रयासों से परियोजना की तैयारी अंतिम चरण – "वार्ता" (Negotiations) तक पहुँच गई, जो 3-5 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। आशा है कि वित्तीय समझौता और परियोजना समझौता आगामी वित्तीय वर्ष 2006-07 में हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

क्षेत्र सुधार परियोजना (स्वजलधारा-II), हरिद्वार

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार वर्ष 1999 में देशभर में अपनाया गया था, और इसके अंतर्गत प्रायोगिक परियोजनाएं (Pilot Projects) देश के 67 जिलों में प्रारंभ की गई थीं।

उत्तरांचल राज्य में, भारत सरकार द्वारा हरिद्वार जिले को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2001-02 में चुना गया। हालांकि, इस परियोजना के लिए वास्तविक धनराशि की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2002-03 में हुई।

यह परियोजना राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अप्रैल 2002 में शुरू की गई थी।

परियोजना के मूल सिद्धांत हैं:

- मांग आधारित दृष्टिकोण (Demand Driven Approach)
- समुदायों द्वारा पूंजीगत लागत में भागीदारी
- संचालन एवं रख-रखाव (O&M) की 100% जिम्मेदारी समुदायों की

कार्य प्रगति (2005-06):

- परियोजना के तहत 89 ग्राम पंचायतों (GPs) और 2 वन पंचायतों में 103 पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।
- इनमें से:
 - 77 योजनाएं F.Y. 2004-05 में पूरी हुईं
 - 26 योजनाएं F.Y. 2005-06 में पूर्ण की गईं

वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय: ₹426.84 लाख

मार्च 2006 तक कुल व्यय (संचयी): ₹1760.96 लाख

विशेष उल्लेख:

इन गांवों की ग्राम पंचायतों और समुदायों ने यह सिद्ध किया है कि समुदाय आधारित दृष्टिकोण (Community Driven Approach) व्यवहारिक और सफल है। यह परियोजना अब स्वजलधारा-II के नाम से जानी जाती है।

अन्य गतिविधियाँ (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित):

- वन पुनर्वास ग्रामों — गूज्जर बस्ती और पथरी बस्ती में दो जल योजनाओं का निर्माण भी इस परियोजना के अंतर्गत किया गया।
- इन योजनाओं की अनुमानित लागत: ₹46 लाख
- F.Y. 2005-06 में व्यय: ₹29.52 लाख
- कार्यान्वयन कार्य प्रगति पर है।

स्वजलधारा-I

स्वजलधारा कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2002 में पूरे देश में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम मांग आधारित दृष्टिकोण (Demand Responsive Approach) और समुदाय की भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित है।

स्वजलधारा के मूल सिद्धांत हैं:

1. समुदाय सहभागिता के साथ लचीले एवं मांग आधारित दृष्टिकोण को अपनाना,
2. पेयजल योजनाओं के चुनाव, योजना निर्माण, डिज़ाइन, कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और प्रबंधन व्यवस्था में गांव वालों की निर्णयात्मक भूमिका,
3. पेयजल परिसंपत्तियों का स्वामित्व उचित स्तर की पंचायतों को देना,
4. पंचायतों / समुदायों को सभी जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं की योजना बनाने, क्रियान्वयन, संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन की पूरी शक्ति देना,
5. पूंजीगत लागत में आंशिक भागीदारी — नकद, श्रम या दोनों के रूप में,
6. संचालन एवं रखरखाव (O&M) की पूरी जिम्मेदारी उपयोगकर्ताओं की,

7. सरकार की भूमिका को सीधी सेवा प्रदायगी से नीति निर्माण, योजना, निगरानी और मूल्यांकन तक सीमित करना, साथ ही आंशिक वित्तीय सहायता देना।
-

उत्तरांचल सरकार (GoUA) ने इस कार्यक्रम को तीन कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया:

1. PMU (परियोजना प्रबंधन इकाई)
2. UJS (उत्तरांचल जल संस्थान)
3. UJN (उत्तरांचल पेयजल निगम)

इस निर्णय का उद्देश्य यह था कि क्षेत्रीय संस्थाएं भी मांग आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव प्राप्त करें।

कार्य प्रगति:

- पहले चरण में 19 पेयजल योजनाएं F.Y. 2003-04 में शुरू की गईं।
 - F.Y. 2005-06 में 43 नई योजनाएं चयनित की गईं।
 - इस प्रकार, F.Y. 2005-06 के दौरान कुल 62 योजनाएं कार्यान्वयन में थीं।
 - इनमें से:
 - 1 योजना F.Y. 2004-05 में पूर्ण हुई
 - 14 योजनाएं F.Y. 2005-06 में पूर्ण की गईं
-

वित्तीय व्यय:

- F.Y. 2004-05: ₹78.88 लाख
 - F.Y. 2005-06: ₹165.30 लाख
 - कुल संचयी व्यय (मार्च 2006 तक): ₹244.18 लाख
-

विशेष उल्लेख:

यहाँ भी श्रेय उन ग्राम समुदायों और ग्राम पंचायतों को जाता है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख माध्यम है।

यह अभियान भारत सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और महिलाओं को गोपनीयता और गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।

यह एक मांग आधारित, समुदाय-नेतृत्व वाला अभियान है।

वित्तीय भागीदार:

- भारत सरकार (GoI)
 - उत्तरांचल सरकार (GoUA)
 - ग्रामीण समुदाय
-

राज्य में कार्यान्वयन:

TSC वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है, तीन कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से:

1. PMU (परियोजना प्रबंधन इकाई)
2. UJS (उत्तरांचल जल संस्थान)
3. UJN (उत्तरांचल पेयजल निगम)

अब तक भारत सरकार द्वारा ₹52.53 करोड़ की कुल परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

TSC के प्रमुख घटक:

- व्यक्तिगत शौचालयों (Individual Household Latrines) का निर्माण
 - सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (Community Sanitary Complexes) का निर्माण
 - विद्यालय शौचालयों (School Toilets) का निर्माण
-

प्रचार एवं संचार (IEC):

TSC मुख्यतः संचार आधारित अभियान है, जिसमें स्वच्छता संबंधित संदेशों को लोगों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियाँ शामिल हैं।

ये गतिविधियाँ ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, और जिला पंचायत स्तर पर आयोजित की जाती हैं।

यह अभियान सब्सिडी नहीं, बल्कि समुदाय आधारित प्रोत्साहन पर केंद्रित है।

BPL परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रति इकाई ₹500 की सब्सिडी अनुमेय है।

प्रगति (2005-06):

- सभी कठिनाइयों के बावजूद, TSC ने राज्य में स्थिर और उल्लेखनीय प्रगति की है।
- F.Y. 2003-04 में जहाँ 6503 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ था, वहीं F.Y. 2005-06 में यह संख्या बढ़कर लगभग 54,000 हो गई।
- मार्च 2006 तक कुल संचयी प्रगति: लगभग 92,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में:

- उपलब्ध धनराशि: ₹739.11 लाख
 - व्यय: ₹240.07 लाख
 - कुल संचयी व्यय (अभियान शुरू होने से अब तक): ₹420.63 लाख
-

उल्लेखनीय उपलब्धि:

13 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार (Nirmal Gram Puraskar) प्राप्त हुआ।

यह पुरस्कार 23 मार्च 2006 को भारत के राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा प्रदान किया गया।

संचार एवं क्षमता विकास इकाई (CCDU)

जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार को 2003-04 तक मानव संसाधन विकास (HRD) सेल और सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सेल की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की।

HRD सेल का उद्देश्य था:

- समुदायों, पंचायतों और जल-स्वच्छता क्षेत्र के पेशेवरों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कर WATSAN क्षेत्र में सुधार लाना।

IEC सेल का उद्देश्य था:

- ग्रामीण समुदायों के बीच स्वस्थ और टिकाऊ स्वच्छता व्यवहारों के लिए जागरूकता और मांग उत्पन्न करना।

भारत सरकार ने 2004-05 में इन दोनों इकाइयों का पुनर्गठन कर उन्हें एकीकृत करते हुए संचार एवं क्षमता विकास इकाई (CCDU) नाम दिया।

CCDU का उद्देश्य है:

- समुदाय की भागीदारी और मांग को बढ़ावा देना
 - जनसमूहों और हितधारकों के लिए जनसंचार और पारस्परिक संवाद का प्रभावी संयोजन विकसित करना
 - जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, PRIs, NGOs और अन्य हितधारकों की क्षमता का विकास करना
-

प्रमुख गतिविधियाँ (2005-06):

- ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदायों को प्रशिक्षित किया गया।
 - 9 जिला पंचायत अध्यक्षों का एक प्रतिनिधिमंडल केरल राज्य का दौरा (Cross Visit) कराया गया, ताकि वे मांग आधारित जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में PRIs की भूमिका को समझ सकें।
-

वित्तीय विवरण (2005-06):

- उपलब्ध धनराशि: ₹119.13 लाख
- व्यय: ₹7.41 लाख

चालू कार्यक्रमों की वित्तीय स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए इस संस्था के वार्षिक ऑडिट किए गए लेखा विवरण और बैलेंस शीट को परिशिष्ट-6A के रूप में संलग्न किया गया है।

यह बैलेंस शीट निम्न वित्तीय लेन-देन को दर्शाती है:

- PMU और DPMUs के संचालन व्यय
- PHRD अनुदान के अंतर्गत हुए व्यय

परिशिष्ट-6B में CCDU से संबंधित वित्तीय लेन-देन प्रस्तुत किए गए हैं।

TSC और स्वजलधारा कार्यक्रमों से संबंधित व्यय इस बैलेंस शीट में शामिल नहीं हैं क्योंकि ये कार्यक्रम जिला आधारित हैं और PMU केवल निगरानी एजेंसी की भूमिका निभाता है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (Auditor's Report):

29वीं वित्त समिति ने एजेंडा बिंदु संख्या FC 29:05 के अंतर्गत PMU के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु लेखा परीक्षक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की थी।

नियुक्त लेखा परीक्षक थे:

एम/एस एम. के. गोस्वामी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,

पता: 4/8 असफ अली रोड, प्रथम तल, नई दिल्ली

इस फर्म ने 2005-06 के लिए ऑडिट कार्य पूर्ण कर लिया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या असंगति नहीं है (i.e., it is unqualified).

आभार (Acknowledgement):

PMU / SWSM भारत सरकार, उत्तरांचल सरकार के अधिकारियों और विश्व बैंक मिशन के सदस्यों का उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

PMU साथ ही PMU और DPMU के समर्पित कर्मचारियों के योगदान के लिए भी धन्यवाद प्रकट करता है।

(गंभीर सिंह)

निदेशक